Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या 118/2025 नन्द किशोर बनाम उत्तम चंद

अन्तर्गत धारा 225 आर टी एक्ट

GCMS NO 2025/303

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.9.25	अपील श्री रमेश चंद गोयल अधिवक्ता ने पेश की। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपीलांट अधिवक्ता को अपील के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय सुना गया। अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 7/24 उनवानी उत्तम चंद बनाम नन्दकिशोर वगै0 मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक 7.2.24 के विरूद्व [illegible] की गई है। जिसमे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 को एक पक्षीय सुना जाकर प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया गया है। जबकि अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि आराजी ख0न0 228 रकबा 0.15 है0 का अपीलांट रिकार्डेड खातेदार है। इस प्रकार किसी खातेदार को बिना सुने ही उसे अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना विधि के प्रावधानो के विपरीत है। अपीलांट के उक्त कथन की पुष्टि जमाबंदी सम्वत 2073–76 के अवलोकन से हो[illegible] है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। जो विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है तथा न्यायिक दृष्टिकोण से प्रकरण का अंतिम निस्तारण 2 माह मे करने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना विधि सम्मत है। अतः अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 7/24 मे पारित अं[illegible]िम स्थगन आदेश दिनांक 7.2.24 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जबाव प्राप्त किया जाकर प्रकरण का अन्दर 2 माह मे अंतिम निस्तारण करे। अपीलांट को पाबंद किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जबाव प्रस्तुत करे। निर्णय सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:24:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner